उत्तर प्रदेश शासन
गृह (गोपन) अनुभाग-3
संख्या-103/1/16/2019-सीएक्स-3
लखनऊः दिनांकः 30, सितम्बर, 2020

अधिसूचना

चूँकि नीचे दी गई अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोग विद्युत उपकेन्द्र से विद्युत पारेषण, जो लोक प्रकृति के प्रयोजन का कार्य है, के लिये किया जाता है;

और चूंकि उसके सम्बन्ध में किसी सूचना या उसके नष्ट होने या उसमें रुकावट या विघ्न पड़ने से शत्रु को लाभ पहुंचेगा;

अतएव, अब, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 1285, दिनांक 04 मई, 1963 के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या 19, सन् 1923) की धारा 2 के खण्ड (8) के उप खण्ड (घ) के अधीन श क्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गई अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करती हैं और अग्रतर यह निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जन भाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगाई जायेगी।

अनुसूची

प्रतिषिद्ध स्थान का नाम और विनिर्दिष्टयां	
पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड 400/220, के0वी0 उपकेन्द्र, 20 किमी माइल स्टोन, लखनऊ कुर्सी रोड, पोस्ट अनवारी, जिला बाराबंकी, पिन 225302 उत्तर प्रदेश	
पूर्व में -	एशिया इंस्टिट्यूट ऑफ इन्जीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, कुर्सी रोड।
पश्चिम में-	ग्राम महमूदपुर बनौगा- कृषि भूमि एवं ग्राम- नियामतपुर- कृषि भूमि।
उत्तर में-	ग्राम- गुग्गौर- कृषि भूमि एवं ग्राम- मीर नगर / महमूद नगर बनौगा- कृषि भूमि।
दक्षिण में-	ग्राम- गुग्गौर- कृषि भूमि।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव